

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की संख्या—FP/UK/ROAD/120213/2021

7 परियोजना का नाम:-

डाण्डागांव-माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागांव तक विस्तार हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड।
 - ii) जिला उत्तरकाशी।
 - iii) वन प्रभाग उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।
 - iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) आरक्षित वन भूमि 3.802 है० तथा सिविल सोयम भूमि 0.815 अर्थात् कुल 4.617 वन भूमि।
 - v) वन की कानूनी स्थिति आरक्षित भूमि तथा सिविल भूमि।
 - vi) हरियाली का घनत्व घनत्व 0.34
 - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। संलग्न है।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।
 - viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संलग्न है।
संक्षिप्त टिप्पणी।
 - ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। प्रस्तावित समरेखण वन सीमा के अन्दर है।
 - x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हार्थी कारोडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए) नहीं है।
 - xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। नहीं है।
 - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय /पारस्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नहीं है।
- 2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। आरक्षित वन भूमि 3.802 है० तथा सिविल सोयम भूमि 0.815 अर्थात् कुल 4.617 है० वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।
- 3 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं है।
- 4 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा—
- i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या। संलग्न है।
 - ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों का आकार। संलग्न है।

- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र से इनकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्डों का आकार संलग्न है।
- vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय संलग्न है।
- 5 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 6 प्रभाग/जिला प्रोफाइल प्रकरण वन प्रभाग उत्तरकाशी से सम्बन्धित है।
- i) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 801600.00 हैक्टेयर
- ii) जिला का वन क्षेत्र। 695783.35 हैक्टेयर
- iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 552 मामले तथा 1652.43 हैक्टेयर
- iv) 1980 से जिला/प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण।
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर अब तक 2241.08
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक 213.17 है०
- v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर 1990.748 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 213.17 है०
- 7 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की समुचित सुरक्षा की लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष जायेगी संस्तुति सहित अग्रसारित। सिफारिश।

स्थल - उत्तरकाशी।

दिनांक 24/11/2021

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।